उत्तर प्रदेश शासन

दुग्ध विकास अनुभाग-1

संख्या-2/2023/688/53-1099/1350/2019

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2023

कार्यालय-आदेश

तात्कालिक प्रभाव से श्री वीरपाल सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए दुग्धशाला विकास अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा के पद पर तैनात किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- श्री वीरपाल सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती के स्थल से तत्काल अवमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(राम सहाय यादव)

विशेष सचिव

संख्या-2(1)/2023/688/53-1099/1350/2019 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ ।

5-वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।

7- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से) ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह/-

(पंकज कुमार सिंह)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।